परिपत्र संख्या 187/19/2022-जीएसटी

फा.सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

*****

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त /
केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: जीएसटी कानून के अंतर्गत ऐसे करदाताओं के वैधानिक बकाया राशि के समाशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण जिनके लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया हो के सन्दर्भ में।

परिपत्र संख्या 134/04/2020-जीएसटी दिनांक 23 मार्च, 2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि निगमित देनदारो के विरुद्ध निगमित शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के शुरू होने से पहले की अवधि के बकाए राशि के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस तरह के बकाया राशि को 'परिचालन ऋण' के रूप में माना जाएगा एवं इसके सम्बंधित दावे आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार एनसीएलटी के समक्ष सक्षम अधिकारी के द्वारा दायर किए जा सकेंगे।

2. आईबीसी के प्रावधानो के अंतर्गत चलाई गयी प्रक्रियाओं के अंतिम स्वरूप लेने के पश्चात निगमित देनदार के विरुद्ध केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तदुपरान्त 'सीजीएसटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) एवं मौजूदा क़ानूनों के अंतर्गत वसूली की मांग के सबंध में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (तदुपरान्त 'आईबीसी' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के सम्बंध में एवं ऐसी वैधानिक बकाया राशियों के सीजीएसटी अधिनियम और मौजूदा क़ानूनों के अंतर्गत बर्ताव के सम्बन्ध में व्यापारिक संस्थानो के साथ साथ कर प्राधिकारिओ की तरफ से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ।

3. समस्त विभागीय इकाईयो मे कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में समरूपता सुनिश्चित करने हेतु, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा, निम्नलिखित रुप से स्पष्ट करता है।

4.1 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 84 के प्रावधान निम्नलिखित है:-

"धारा 84 कुछ वसूली कार्यवाहियों को जारी रखना और मान्य करना-.

जहां इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी कर, जुर्माना, ब्याज अथवा किसी अन्य राशि के संबंध में मांग का कोई भी नोटिस, (इसके बाद इस खंड में किसी भी (के रूप में संदर्भित "सरकारी बकाया" बंध में कोई कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है और ऐसे वैधानिक बकाया के सं अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है अथवा कोई अन्य कार्यवाही शुरू की गई है, तो -

..

(ख) जहां ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में ऐसी सरकारी बकाया राशि कम हो जाती है-

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति को मांग का नया नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा;

(ii) आयुक्त ऐसी कटौती की सूचना उस व्यक्ति को एवं उचित प्राधिकारी को देगा जिसके पास वसूली की कार्यवाही लंबित है;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पहले उसे दी गई मांग के आधार पर शुरू की गई कोई भी वसूली कार्यवाही उस चरण से कम की गई राशि के संबंध में जारी रखी जा सकती है जिस पर ऐसी कार्यवाही ऐसे निपटान से ठीक पहले थी।"

4.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 84 के प्रावधान के अनुसार, यदि सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकारी बकाया उस सरकारी बकाया राशि के संबंध में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कम हो जाता है, तो आयुक्त द्वारा ऐसे व्यक्ति एवं उचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली की कार्यवाही लंबित है, सरकारी बकाये की ऐसी कटौती की सूचना देनी होगी । इसके अलावा, सरकारी बकाया राशि की ऐसी कम की गई राशि के संबंध में वसूली की कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।

4.3 सीजीएसटी अधिनियम में 'अन्य कार्यवाही' शब्द परिभाषित नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिवालियापन और शोधन अक्षमता से संबंधित दीवानी विवादों से निपटने के लिए आईबीसी के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रुप मे गठित किये गए हैं। उदाहरण के लिए, आईबीसी के अंतर्गत, एनसीएलटी किसी इकाई के हितधारक जैसे फर्म, लेनदारों, देनदारों, कर्मचारियों आदि के आवेदन पर प्रारम्भ हुई शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के लिए एक न्याय-निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है एवं समाधान योजना को मंजूरी देने का आदेश पारित करती है। चूंकि आईबीसी के प्रावधानो के अंतर्गत की गई कार्यवाहियाँ सीजीएसटी अधिनियम अथवा किसी अन्य मौजूदा कानूनों के अंतर्गत निगमित देनदार के खिलाफ लंबित सरकारी बकायों का भी न्यायनिर्णयन करती है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 'अन्य कार्यवाही' शब्द में ही अन्तर्निहित है।

5. केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 का नियम 161, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत निर्दिष्ट मांग की राशि में कमी की सूचना जारी करने के लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी-25 का प्रावधान करता है। तदानुसार, ऐसे मामलों में जहाँ कर प्राधिकारियों द्वारा वसूली की मांग पुष्टिकृत की गयी है तथा जिसके लिए किसी निगमित देनदार के विरुद्ध फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07/डीआरसी 07ए मे सारांश जारी किया गया है एवं आईबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित देनदार के विरुद्ध प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो जिसमें सीजीएसटी अधिनियम अथवा अन्य मौजूदा कानूनों के अंतर्गत उसके द्वारा सरकार को देय किसी वैधानिक बकाया राशि को कम किया गया हो, तब क्षेत्राधिकारी आयुक्त ऐसे कराधेय व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति एवं साथ ही साथ उचित प्राधिकारी जिसके पास वसूली की प्रक्रिया लंबित हो, को उस मांग की राशि के कम होने की सूचना फॉर्म जीएसटी डीआरसी-25 मे कर योग्य व्यक्ति के लिये अवश्य जारी करेगा ।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

7. कृपया उपरोक्त अनुदेश के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो बोर्ड के संज्ञान में लाई जाए।

(संजय मंगल)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)